

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल संख्या – 15

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1)(ख)(XV))

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.)

लघु सिंचाई विभाग के मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अवधि में किसी भी समय विभागीय कार्यालयों में उपलब्ध अधिकारियों से विभाग से सम्बन्धित ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है, जो उस व्यक्ति या संगठन द्वारा मांगी जाय। विभाग से सम्बन्धित सूचनायें विभाग की वेबसाइट www.minorirrigation.uk.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
